



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 862) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 166 दिनांक 22 जुलाई 2026—सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 136 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अध्याय XII के प्रयोजनार्थ सभी उप श्रमायुक्त, बिहार को उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्राधिकार नियुक्त करते हैं। जिन मामलों में उप श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त निरीक्षक—सह—सुकारक हैं, उन मामलों के लिए अभियोजन की स्वीकृति स्वयं के स्तर से दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/COSS-10-02/2025-158/श्र०सं०)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 167 एस० ओ० 166 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/COSS-10-02/2025-159/श्र०सं०)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

SO 166 date 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 136 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Deputy Labour Commissioner, Bihar, as the authority to grant sanction for prosecution in respect of establishments for which the State Government is the appropriate Government, for the purposes of Chapter XII of the Code. In cases where the Deputy Labour Commissioner, Joint Labour Commissioner, Additional Labour Commissioner and Labour Commissioner, Bihar is an Inspector-cum-Facilitator, the sanction for prosecution shall be granted at their own level.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/COSS-10-02/2025-158/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 862-571+200-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>